(भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख .....

अधिसूचना

का.आ. ..... केंद्रीय सरकार को प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किये जाने की संभावना है ।

अतः अब, केंद्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है,

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले रेखांक सं0 ----------, तारीख ---------- का निरीक्षण ---------- के कार्यालय में या कलेक्टर और जिला मैजिस्ट्रेट ---------- के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता के कार्यालय में किया जा सकता है ,

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि में, हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को न इस अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से ---------- के भीतर ---------- भेजेंगे ।

अनुसूची

-------- ब्लाक- ----------

(----------)

क्रम सं0	**गांव**	**पुलिस थाना और संख्यांक**	**तहसील/उपखंड**	**जिला/ राज्य**	**एकड़ में क्षेत्र**	**टिप्पण**
1						
2						
				योग	**एकड़ (लगभग) या हेक्टेयर (लगभग)**	

------ ब्लाक -------- ( ) का सीमा वर्णन

क से चः

च से छः

छ से जः

ज से कः

(मिसिल सं0 .....-पीआरआईडब्ल्यू)

( )
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक (तकनीकी)
भारत सरकार प्रेस
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली ।

(भारत के राजपत्र, भाग - 2, खंड़ - 3, उपखंड़ (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख.....

अधिसूचना

का. आ. केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. ....., तारीख ..... द्वारा, जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (iii) तारीख ..... में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे यथा वर्णित ..... हेक्टर (लगभग) या ..... एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों और यथा वर्णित ..... हेक्टर (लगभग) या ..... एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में खनन अधिकार के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और ..... सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि :-

(क) इससे संलग्न अनुसूची 'क' में वर्णित ..... हेक्टर (लगभग) या ..... एकड (लगभग) माप वाली भूमि के सभी अधिकार, और

(ख) इससे संलग्न अनुसूची 'ख' में वर्णित ..... हेक्टर (लगभग) या ..... एकड (लगभग) माप वाली भूमि में खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, उनकी खुदाई करने और तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए ।

. 2

अतः अब केन्द्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घो-णा करती है, किः-

(क) अनुसूची 'क' में वर्णित ..... हेक्टर (लगभग) या .....एकड (लगभग) माप वाली भूमि के सभी अधिकार, और

(ख) अनुसूची 'ख' में वर्णित ..... हेक्टर (लगभग) या .....एकड (लगभग) माप वाली

भूमि में खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, उनकी खुदाई करने और तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकार अर्जित किए जाते है ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. ..... तारीख .....का निरीक्षण कलेक्टर, ... (.....) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता पिन - 700 001 के कार्यालय में या ..... (.....),.....,.....,.....- ..... (.....) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

अनुसूची

.....

उमरेर क्षेत्र

जिला ..... (.....)

(.....)

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	निजी भूमि क्षेत्र हेक्टर में	सरकारी भूमि क्षेत्र हेक्टर में	कुल क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणी
1								
2								

कुल क्षेत्रः- हेक्टर (लगभग)

या एकड़ (लगभग)

ग्राम .....में अर्जित किए प्लॉट संख्यांकः

ग्राम .....में अर्जित किए प्लॉट संख्यांकः

ग्राम .....में अर्जित किए प्लॉट संख्यांकः

सीमा वर्णनः

(संख्या .....- पी आर आई डब्ल्यू)

( )
अवर सचिव
भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक (तकनिकी)
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी रिंग रोड़,
नई दिल्ली ।

(भारत के राजपत्र के भाग 2 धारा 3, उपधारा (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कोयला मन्त्रालय

नई दिल्ली, तारीख

अधिसूचना

का. आ. केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास), अधिनियम 1957 (1957 का 20), (जिसे इस में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार में कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का.आ. ..... तारीख ....., जो भारत के राजपत्र के भाग 2,खण्ड -3 ,उपखण्ड (।।) तारीख ..... में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दि-ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप ..... (लगभग) है , कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी।

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्त है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास),अधिनियम 1957 की धारा 7 की उपधारा (1) व्दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित ..... हेक्टर (लगभग) माप की उक्त भूमि का अर्जन करने की अपने आशय की सूचना देती है;

टिप्पण 1: इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या ..... तारीख ..... को उपायुक्त जिला-.....(.....) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1,काउंसील स्ट्रीट , कोलकाता -700001 के कार्यालय में या ..... ( ) .....( ) पिन कोड सं0 ..... के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण 2: कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास), अधिनियम ,1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृ-ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबंध है -

अर्जन की बावत आपत्तियाँ -

1 . कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गयी है, हितबद्ध है , अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्प-टीकरणः- इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जायेगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयले उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए ।

2 . उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में की जायेगी और सक्षम अधिकारी, आपत्तिकर्त्ता को स्वयं सुने जाने, विधिव्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात और ऐसी अतिरिक्त जाँच यदि कोई हो , करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझता है,वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि का या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़े या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्व समझा जायगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते है।

टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1,काउसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700001 को उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचना सं0 का. आ. ..... तारीख ..... द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

---(---)

क्रम सं0	मौजा का नाम	थाना सं0	थाना	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टीप्पणियाँ
1						
2						

कुल क्षेत्र हेक्टर (लगभग)

भूमि अनुसूची

सीमा विवरण

(संख्या ---------- पीआरआईडब्ल्यू-I)

( )
अवर सचिव
भारत सरकार

सेवा में -
प्रबन्धक (तकनीकी)
भारत सरकार के प्रेस,
रिंग रोड, मायापूरी, नई दिल्ली

(भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक.....

आदेश

का0 आ0 कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957(1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का0 आ0 ---------- तारीख ----------, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख ---------- ---------- में प्रकाशित होने पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और भूमि में, या उस पर के अधिकार (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त भूमि कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यांतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ---------- ---------- (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तो का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए तैयार है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957(1957 का 20) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि और उस पर के सभी अधिकार, तारीख ---------- ---------- से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाय, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात ;

1. उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसान और वैसी ही मदों की बाबत किए गए सभी संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी ;

2. उक्त कंपनी द्वारा शर्त (1) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, उक्त कंपनी द्वारा वहन किये जायेंगे और इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकार के लिए या उसके संबंध में जैसे अपील आदि सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, इसी प्रकार उक्त कंपनी द्वारा वहन किये जायेंगे ;

3 उक्त कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में, क्षतिपूर्ति करेंगी जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरूद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो,;

4 उक्त कंपनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि और भूमि में या उसके ऊपर इस प्रकार निहित अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नही होगी ; और

5 उक्त कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशि-ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किये जाएं, पालन करेगी ।

(मि.सं - ..... -पी.आर.आइ.डब्ल्यू.)

( )
अवर सचिव भारत
सरकार

सेवा में -

प्रबन्धक (तकनीकी)
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली ।